संख्या 52/2016/567/41-2016-16 यो0/12

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2016

विषय:- जनपद इटावा के सैफई में पर्यटन काम्प्लेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय

जनपद इटावा के सैफई में पर्यटन काम्प्लेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 121/2015/1891/41-2015-16 यो0/12, दिनांक 14 अगस्त, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद इटावा के सैफई में पर्यटन काम्प्लेक्स के निर्माण एवं स्थापना के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत लागत रू0 3920.85 लाख का प्रायोजना प्रस्ताव व्यय वित्त समिति को सन्दर्भित किया गया। व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 2893.38 लाख की लागत पर अनुमोदित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

2. अत: वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद इटावा के सैफई के निर्माण एवं स्थापना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 2893.38 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 10.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(अ) प्रश्नगत परियोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस संक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृति कराया जायेगा।

(स) प्रायोजनान्तर्गत ग्लेवनाइज्ड डेकोरेटिव पोल एवं डेकोरेटिव ल्युमिनरीज का प्राविधान किया गया है जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, के अनुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(द) प्रायोजनान्तर्गत ट्रांसफार्मर, लिफ्ट डी0जी0 सेट, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, ग्लेवनाइज्ड आक्टागोनल पोल, ग्लेवनाइज्ड डेकोरेटिव पोल, डेकोरेटिव ल्यूमिनरीज, कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं ई0पी0बी0ए0एक्स सिस्टम आदि की स्थापना हेतु प्रयुक्त दरों को प्रभाग स्तर पर इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(य) विभाग द्वारा मिट्टी भराई मद में रू0 88.80 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी थी, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति न होने के कारण इस मद में फिलहाल एकमुश्त रू0 10.00 लाख की मिट्टी अनुमन्य की गयी है, ताकि कार्य कराने में कोई कठिनाई न हो। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए प्रशासनिक विभाग कृपया सम्पूर्ण कार्यवाही करेगें, तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर प्रशासनिक विभाग सहमत होने के पश्चात् मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (भवन) (सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे तथा मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढ़ी हुयी लागत को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(र) प्रायोजनान्तर्गत लेबलिंग एवं डे^{a}सिंग, आन्तरिक रोड एवं पाथवे, सीवर लाइन, जल वितरण प्रणाली, स्ट्रार्म वाटर डेन, हार्टीकल्चर, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, अन्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन, पम्प रूम, डीप ट्यूबवेल, सब स्टेशन, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, ई0पी0ए0बी0एक्स0 सिस्टम, अन्डर ग्राउण्ड टैंक आदि कार्य मदों हेतु डी0एस0आर0/एकमुश्त आधार पर लागत प्रस्तावित की गई है। अतः निर्माण से पूर्व इन समस्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन जनपद के अनुसूची दरों पर गठित किया जाय एवं इस गठित आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्ति किया जायेगा।

(ल) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(व) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(स) प्रायोजना के निर्माणोपरान्त संचालन एवं रखरखाव का कार्य उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(श) मा0 न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-संवर्धन तथा प्रचार-16-सैफई-इटावा में पर्यटन काम्प्लेक्स का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या ई0-7-289/दस-2016, दिनांक 30 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव

संख्या-52/2016/567(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार इलाहाबाद।
2- प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर।
5- जिलाधिकारी, इटावा।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
10 राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in